

श्री गणेशाय नमः  
रसोक्त  
व्याख्या  
के लिये  
29/8/05



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्ती, जिला जयपुर

वाद संख्या 206/2005

प्रभूनारायण पुत्र रूग्नाथ जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम बस्ती कस्बा बस्ती, तहसील बस्ती, जिला-जयपुर ।

-- वादी

ब नों म

- 1- गोकूल पुत्र रूग्नाथ
  - 2- बनवारी | पुत्रान रामसुख उर्फ | जाति हरियाणा ब्राहमण
  - 3- राजबिहारी | रामस्वल्प | निवासी ग्राम बस्ती, कस्बा
  - 4- मोहन | | बस्ती, तहसील बस्ती,
  - 5- सरजू बेवा रामसुख उर्फ रामस्वल्प | जिला-जयपुर ।
- ~~उप पंजीयक बस्ती तहसील बस्ती जिला-जयपुर~~  
~~तहसीलदार बस्ती, तहसील बस्ती जिला जयपुर ।~~  
~~ग्राम पंचायत बस्ती, पं.सं. बस्ती, तहसील बस्ती जरिये सरपंच ।~~

-- प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निश्चिन्नाज्ञा

श्रीमान्,

वादपत्र निम्न लिखित पेश है :-

§1§ यह कि भूमिवादग्रस्त हाल खतरा नम्बर 1269/2 रकबा 17 ति 1269/5 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 । बिस्वा ग्राम बस्ती कस्बा बस्ती तहसील बस्ती जिला जयपुर स्थित है ।

य प्रमाण

§2§ यह कि भूमिवादग्रस्त कानूनन अविभाजित भूमि है जिसमें वादी हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिव संख्या 2 लगायत 5 का हिस्सा 1/3 है । वादी तथा प्रतिवादी

20/4/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 2/6/17 को पेश हो।

2/6/17 By

2.6.17

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौर/अन्वय कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 13.6.17 को पेश हो।

पत्रावली आज राजस्थान लोक अदालत न्याय के द्वारा कम्प... में पेश हुई। पत्रावली में कोई निर्णय पारित नहीं होने के कारण कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 21.8.17 को पेश हो।

13.6.17

21.8.17

21/8/17

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 16/11/17 को पेश हो।

16/11/17 By

16/11/17

पत्रावली पेश हुई। वर द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली एवं अदालत वाली वादी की ओर से पत्रावली नामा पेश होने हेतु दिनांक 17/11/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बस्ती जिला-जयपुर

17/11/17

पत्रावली आज पेश हुई। वादी व वकील वादी अक्रउपस्थित वकील प्रतीवादी न02 लगायत 5 अक्रउपस्थित वादी व वकील वादी को मीन वार आवाज लगावई गई। अन्तिम आवाज 5:30 P.M पर लगावई गई। शनकी और र्व फौद उपस्थित नई आया। अंत में यह वाप अक्रम पैरवी अक्रम दाजरी के खरिज किया जाता है।

पत्रावली वाप राकमील जायता पत्रार शरिफ ही अधिश रखते न्यायालय के सुनाना गमा।

उप खण्ड अधिकारी